

प्रेषक,

निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।  
देहरादून।

सेवा में,

- 1 सचिव,  
विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
- 2 मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)  
गढ़वाल/कुमार्यू मण्डल।
- 3 समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी  
उत्तराखण्ड।

पत्रांक:- 06(4)/163/27525 - 30 /2016-17

दिनांक 11, दिसम्बर 2016

विषय:- उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम-2006 की धारा-18(4) के अन्तर्गत विनियम-2009 के अध्याय-दो (परिशिष्ट-क), प्रस्तर-1(2), 2(2), एंव अध्याय-तीन प्रस्तर-20,40,53, अध्याय-सात प्रस्तर-5 में संशोधन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0-9006 / XXIV-4 / 1(3)2010,TC दिनांक 05 दिसम्बर 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम-2006 के अधीन प्रख्यापित विनियम-2009 में संशोधन विनियम-2016 अध्याय-दो (परिशिष्ट-क), प्रस्तर-1(2), 2(2), एंव अध्याय-तीन प्रस्तर-20,40,53, अध्याय-सात प्रस्तर-5 के प्रख्यापित किया गया है।

उक्त अधिसूचना की प्रति विद्यालयी शिक्षा की बेबसाइट-[www.schooleducation.uk.gov.in](http://www.schooleducation.uk.gov.in) पर उपलब्ध है तथापि एक प्रति आपको इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि संशोधित विनियम-2016 के अनुसार तत्काल नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए समस्त अधीनस्थ अधिकारी एंव अशासकीय मान्यता / सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को भी तदनुसार अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- अधिसूचना की प्रति।

भवदीय  
*date*  
(आरोक्तकुवर) 12.12.2016  
निदेशक

*माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।*

पृ०स०- 06(4)/163/27525 - 30 /2012-13 उक्तवत्

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन।

2 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, नूनरखेडा, देहरादून।

3 प्रभारी, एम०आई०एस० विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड नूनरखेडा, देहरादून को इस से कि उक्त अधिसूचना को [schooleducation.uk.gov.in](http://schooleducation.uk.gov.in) पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

*date*  
(आरोक्तकुवर) 12.12.2016  
निदेशक  
*माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।*

मार्ग  
मार्ग

प्र० २३५  
७-२१६

उत्तराखण्ड शासन  
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-४  
संख्या-१००६ XXIV-४/१(३)२०१० टी०सी०,  
देहरादून: दिनांक ०५ दिसम्बर, २०१६,  
अधिसूचना

उत्तराखण्ड  
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग

निदशि ०१.१२.२०१६  
माध्यमिक शिक्षा  
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

राज्यपाल, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 18 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् विनियम, 2009 में अग्रेतर संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- संक्षिप्त नाम १ (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2016 है।  
 एवं प्रारम्भ  
 (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

✓ अध्याय  
प्रस्तर-१  
परिशिष्ट-क

दो १ दो मूल विनियम 2009 के अध्याय-दो प्रस्तर-१ के मूल विनियम नियुक्ति परिशिष्ट-(अ)-(ब) के पश्चात अथवा निम्नवत् रख दिया जायेगा:-

स्तम्भ-१  
वर्तमान विनियम

अध्याय-दो (प्रस्तर-१ के सन्दर्भ में)  
संस्थाओं के प्रधानों और अध्यापकों की नियुक्ति  
(परिशिष्ट-क)

प्रधानाचार्य शैक्षिक योग्यता (इण्टर कालेज) निम्न (अ), (ब) में से एक (अ)-

1. भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि।
2. विश्वविद्यालय की शिक्षण सम्बन्धी उपाधि बी०ए० या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से एल०टी० डिप्लोमा।
3. प्रशासनिक एवं शिक्षण अनुभव निम्नांकित में से एक:-

क-इण्टर तथा उच्च कक्षाओं वाले मान्यता प्राप्त कालेज का तीन वर्ष का प्रशासनिक पद पर कार्य करने का अनुभव।

ख-किसी मान्यता प्राप्त हाईस्कूल में प्रशासनिक पद पर कार्य करने का पांच वर्ष का अनुभव।

ग-मान्यता प्राप्त संस्था की इण्टरमीडिएट कक्षाओं अथवा उच्च कक्षाओं अथवा किसी मान्यता प्राप्त अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान में पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव।

घ-किसी मान्यता प्राप्त संस्था में हाईस्कूल कक्षाओं में आठ वर्ष का शिक्षण अनुभव।

ङ-किसी मान्यता प्राप्त हाईस्कूल में तीन वर्ष के प्रशासनिक अनुभव के साथ दो वर्ष का शिक्षण

स्तम्भ-२  
एतद् द्वारा प्रतिस्थापित विनियम

अध्याय-दो (प्रस्तर-१ के सन्दर्भ में)  
संस्थाओं के प्रधानों और अध्यापकों की नियुक्ति (परिशिष्ट-क)

प्रधानाचार्य शैक्षिक योग्यता (इण्टर कालेज) निम्न (अ), (ब) में से एक(अ)-

1. भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि।
2. विश्वविद्यालय की शिक्षण सम्बन्धी उपाधि बी०ए० या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से एल०टी० डिप्लोमा।
3. प्रशासनिक एवं शिक्षण अनुभव निम्नांकित में से एक:-

क-इण्टर तथा उच्च कक्षाओं वाले मान्यता प्राप्त कालेज का तीन वर्ष का प्रशासनिक पद पर कार्य करने का अनुभव।

ख-किसी मान्यता प्राप्त हाईस्कूल में प्रशासनिक पद पर कार्य करने का पांच वर्ष का अनुभव।

ग-मान्यता प्राप्त संस्था की इण्टरमीडिएट कक्षाओं अथवा उच्च कक्षाओं अथवा किसी मान्यता प्राप्त अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान में पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव।

घ-किसी मान्यता प्राप्त संस्था में हाईस्कूल कक्षाओं में आठ वर्ष का शिक्षण अनुभव।

ङ-किसी मान्यता प्राप्त हाईस्कूल में तीन वर्ष का

१०१६

अनुभव।

(ब) स्नातकोत्तर उपाधिधारी जिन्हें मान्यता प्राप्त संस्था की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कक्षाओं में 15 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्राप्त हो।

प्रशासनिक अनुभव के साथ दो वर्ष का शिक्षण अनुभव।

(ब) स्नातकोत्तर उपाधिधारी जिन्हें मान्यता प्राप्त संस्था की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कक्षाओं में 15 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्राप्त हो।

अथवा

स्नातकोत्तर उपाधिधारी जिन्हें मान्यता प्राप्त इण्टरमीडिएट कक्षाओं में 02 वर्ष का शिक्षण अनुभव तथा सवित्त जूनियर हाईस्कूल/हाईस्कूल कक्षाओं में न्यूनतम 15 वर्ष का शिक्षण अनुभव।

✓ अध्याय दो  
नियम-1(2) का  
संशोधन

2 मूल विनियम, 2009 के अध्याय-दो के विनियम 1(2) के स्थान पर विनियम 1(2) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा:-

स्तम्भ-1  
वर्तमान विनियम

नियम 1(2) "मान्यता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त किये जाने वाले समस्त विषयों के अध्यापकों की न्यूनतम आयु तथा न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हतायें वही होगी जो समय-समय पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए निर्धारित की गयी हों या की जायेंगी"।

स्तम्भ-2  
एतद् द्वारा प्रतिस्थापित विनियम

नियम 1(2) "मान्यता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त किये जाने वाले समस्त विषयों के अध्यापकों की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा तथा न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हतायें वही होगी जो समय-समय पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए निर्धारित की गयी हों या की जायेंगी"।

✓ अध्याय दो  
प्रस्तर-2(2)  
(क) का  
संशोधन

स्तम्भ-1  
वर्तमान विनियम

2(2) (क) जहां कोई संस्था हाईस्कूल से इण्टरमीडिएट कालेज में क्रमोन्नत की जाय वहां ऐसे हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक का पद ऐसे हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक की पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा, यदि वह तत्समय प्रवृत्ति विधि के अनुसार मौलिक रूप से प्रधान अध्यापक के रूप में सम्यक रूप से नियुक्त किया गया हो और उसका सेवा-अभिलेख अच्छा हो, तथा वह इस निमित्त विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो।

स्तम्भ-2  
एतद् द्वारा प्रतिस्थापित विनियम

2(2) (क) जहां कोई संस्था जूनियर हाईस्कूल से हाईस्कूल तथा हाईस्कूल से इण्टरमीडिएट कालेज में क्रमोन्नत की जाय वहां ऐसे हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कालेज के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य का पद ऐसे जूनियर हाईस्कूल/हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक की पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा, यदि वह तत्समय प्रवृत्ति विधि के अनुसार मौलिक रूप से प्रधान अध्यापक के रूप में सम्यक रूप से नियुक्त किया गया हो और उसका सेवा-अभिलेख अच्छा हो, और वह इस निमित्त विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो।

५१८१

परन्तु जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक का पद किन्हीं कारणों से रिक्त होने की दशा में संस्था में उच्चतम श्रेणी में ज्येष्ठतम् अर्ह अध्यापक जिसे न्यूनतम् 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्राप्त हों, में से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

✓ **अध्याय-तीन** 4 मूल विनियम 2009 के अध्याय-तीन के प्रस्तर 20 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये प्रस्तर 20 का वर्तमान विनियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा।  
संशोधन

स्तम्भ-1  
वर्तमान विनियम

20-(1) स्थायी कर्मचारी की सेवा उसे तीन मास की नोटिस अथवा उसके बदले में तीन मास का वेतन देकर, जिस पद पर कर्मचारी कार्य कर रहा है, उसका अन्त करने के आधार पर समाप्त की जा सकती है। पद का अन्त निम्नलिखित में से किसी एक कारण से हो सकता हैः—

(क) वित्तीय कठिनाई के कारण निश्चित छटनी।

(ख) एक विषय का हटाया जाना।

(ग) श्रेणी अथवा कक्षा की समाप्ति।

(2) खण्ड (1) में उल्लिखित नोटिस की अवधि संगणित करने के लिए अथवा उसके बदले में दी जाने वाली धनराशि निर्धारित करने में ग्रीष्मावकाश का समय छोड़ दिया जायेगा।

स्तम्भ-2  
एतद् द्वारा प्रतिस्थापित विनियम

20-(1) स्थायी कर्मचारी की सेवा उसे तीन मास की नोटिस अथवा उसके बदले में तीन मास का वेतन देकर, जिस पद पर कर्मचारी कार्य कर रहा है, उसका अन्त करने के आधार पर समाप्त की जा सकती है। पद का अन्त निम्नलिखित में से किसी एक कारण से हो सकता हैः—

(क) वित्तीय कठिनाई के कारण निश्चित छटनी।

(ख) एक विषय का हटाया जाना।

(ग) श्रेणी अथवा कक्षा की समाप्ति।

(2) खण्ड (1) में उल्लिखित नोटिस की अवधि संगणित करने के लिए अथवा उसके बदले में दी जाने वाली धनराशि निर्धारित करने में ग्रीष्मावकाश का समय छोड़ दिया जायेगा।

परन्तु किसी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में सृजित पद के सापेक्ष कार्यरत नियमित शिक्षक/कर्मचारी के सम्बन्ध में मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा छंटनी हेतु चिन्हित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी का प्रस्ताव प्राप्त होने पर निदेशक द्वारा उसी जनपद के अन्दर रिक्त पद के प्रति समायोजित करने की अनुमति दी जा सकेगी।

✓ **अध्याय-तीन** 5 मूल विनियम 2009 के अध्याय-तीन के प्रस्तर 40 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये प्रस्तर 40 वर्तमान विनियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया का संशोधन जायेगा।

स्तम्भ-1  
वर्तमान विनियम

11/2/2011

स्तम्भ-2  
एतद् द्वारा प्रतिस्थापित विनियम

11/2/2011

40—कर्मचारियों को समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान प्रदान किये जायेंगे।

40—कर्मचारियों को समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा राजकीय शिक्षकों/कर्मचारियों के समान स्वीकृत वेतनमान प्रदान किये जायेंगे। परन्तु राज्य सरकार प्रत्येक पांच वर्ष में एकबार पी०टी०आर० के अनुरूप संस्था में कार्यरत शिक्षक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या आदि का वित्तीय सर्वेक्षण करेगी, तथा संस्था को उसके अनुरूप पालन हेतु पदों को कम कर सकेगी। छात्र संख्या के अनुसार अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता हों, तो विगत 02 वर्षों के औसत के आधार पर अतिरिक्त पद सृजन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जायेगा।

अध्याय—तीन 6 मूल विनियम, 2009 के अध्याय तीन— की धारा 53 (1) में नीचे स्तम्भ—1 में विनियम 53—(1) का संशोधन दिये गये वर्तमान विनियम के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ—1  
वर्तमान विनियम

53—(1) विनियम 52 के अधीन मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्र की प्राप्ति पर मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक) इस प्रयोजन के लिये रखे रजिस्टर में इसे दर्ज करायेगा और—

(क) प्रशिक्षित (एल०टी०) श्रेणी के अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी के मामले में यदि स्थानान्तरण मण्डल के भीतर चाहा गया है। निम्नलिखित कार्यवाही करेगा—

(एक) यदि संस्था के प्रबन्धतन्त्र की सहमति जिसमें स्थानान्तरण चाहा गया है उपलब्ध है उपखण्ड (तीन) के अधीन विनिर्दिष्ट समिति के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा।

(दो) यदि वह संस्था, जिसमें स्थानान्तरण चाहा गया है, उसकी अधिकारिता के भीतर किसी अन्य जिले में स्थित है, तो सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ऐसी संस्था के प्रबन्धतन्त्र से परामर्श करेगा और ऐसी संस्था के प्रबन्धतन्त्र की लिखित सहमति प्राप्त होने पर स्थानान्तरण उपखण्ड तीन के अधीन विनिर्दिष्ट समिति के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा।

स्तम्भ—2  
एतद् द्वारा प्रतिस्थापित विनियम

53—(1) विनियम 52 के अधीन मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्र की प्राप्ति पर मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक) इस प्रयोजन के लिये रखे रजिस्टर में इसे दर्ज करायेगा और—

(क) प्रशिक्षित (एल०टी०) श्रेणी के अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी के मामले में यदि स्थानान्तरण मण्डल के भीतर चाहा गया है। निम्नलिखित कार्यवाही करेगा—

(एक) यदि संस्था के प्रबन्धतन्त्र की सहमति जिसमें स्थानान्तरण चाहा गया है उपलब्ध है उपखण्ड (तीन) के अधीन विनिर्दिष्ट समिति के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा।

(दो) यदि वह संस्था, जिसमें स्थानान्तरण चाहा गया है, उसकी अधिकारिता के भीतर किसी अन्य जिले में स्थित है, तो माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों की स्थिति में सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) अथवा प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों की स्थिति में सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) के माध्यम से ऐसी संस्था के प्रबन्धतन्त्र से परामर्श करेगा और ऐसी संस्था की लिखित सहमति प्राप्त होने पर

(तीन) निम्नलिखित द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों पर स्थानान्तरण आदेश जारी करेगा।

स्थानान्तरण उपर्युक्त (तीन) के अधीन विनिर्दिष्ट समिति के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा।

(तीन) निम्नलिखित द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों पर स्थानान्तरण आदेश जारी करेगा।

माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों हेतु—

- (i) मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक  
मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक
- (ii) (प्रशासनिक)
- (iii) मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक  
(अकादमिक)

—अध्यक्ष  
—सदस्य  
—सदस्य

(i) मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)  
—अध्यक्ष

(ii) मण्डलीय अपर निदेशक  
(प्रारम्भिक शिक्षा)  
—सदस्य

(iii) मुख्य शिक्षा अधिकारी (मण्डल में वरिष्ठतम्)  
—सदस्य

प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों हेतु—

- (i) मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा)  
—अध्यक्ष
- (ii) मुख्य शिक्षा अधिकारी (मण्डल में वरिष्ठतम्)  
—सदस्य
- (iii) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)  
(मण्डल में वरिष्ठतम्)  
—सदस्य

✓ अध्याय—सात 7 मूल विनियम अध्याय—सात के प्रस्तर—5 (परिषद द्वारा संस्थाओं को मान्यता) विनियम 2009 के मूल विनियम—(24) के पश्चात 25 से 29 निम्नवत् रख दिया जायेगा। अर्थात्—

स्तम्भ—1  
वर्तमान विनियम

स्तम्भ—2  
एतद् द्वारा प्रतिस्थापित विनियम

(24) उन विद्यालयों की मान्यता के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा, जहाँ शासकीय अनुदान का दुरुपयोग किया जा रहा हो, अनुशासनहीनता होने की कुख्याति हो तथा विभागीय आदेशों की अवहेलना की जाती हो।

(24) उन विद्यालयों की मान्यता के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा, जहाँ शासकीय अनुदान का दुरुपयोग किया जा रहा हो, अनुशासनहीनता होने की कुख्याति हो तथा विभागीय आदेशों की अवहेलना की जाती हो।

(25) संस्था को मान्यता प्रदान करने हेतु सेवित क्षेत्र की जनसंख्या स्तरवार होगी।  
हाईस्कूल—3000 के लगभग एवं इंटर—5000 के लगभग।

(26) संस्था की परिधि में निर्धारित दूरी पर कोई राजकीय / सहायता प्राप्त / स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय नहीं है। 05 कि०मी० (प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र), 10 कि०मी० (प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के ग्रामीण अंचल)।

1/211

(27) संस्था निजी स्रोतों से विद्यालय का संचालन करेगी तथा किसी शासकीय/ग्रान्ट अनुदान हेतु (विशिष्ट परिस्थितियों के सिवाय) आवेदन नहीं करेगी।


(28) अस्थाई मान्यता प्राप्त होने के तीन वर्ष के भीतर मान्यता की शर्तों को पूर्ण न करने पर संस्था की मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

भवदीय,

(डा० रणबीर सिंह)  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या—१००६ / (1)१(3) २०१० सी ० / XXIV-४ / २०१६, तददिनांकित।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, शिक्षा मंत्री को मा० शिक्षा मंत्री जी को अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- ✓ निदेशक/सभापति, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. अपर शिक्षा निदेशक/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायू मण्डल, नैनीताल।
9. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना की 300 प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(महिमा)  
उप सचिव।